न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 278/23 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/303)

घनश्याम पुत्र श्री गंगाधर जाति गूजर निवासी ग्राम विलोली नदी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. कालूराम पुत्र हजारीलाल जाति गूजर निवासी चक विलोली तहसीसल मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधोपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधोपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर दिनांक 10.6.2016 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 167 दिनांक 20.1.1985 तहसीलदार मलारनाडूंगर।

उपस्थितिः–

श्री राजेश कुमार सोगरवाल वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः– 26.03.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 10.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार मलारनाडूंगर के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 153 मिन मे से 1 बीघा 4 विस्वा वाकै गाम चक विलोली की आराजी के संबध में मुताबिक आदेश गैर खातेदारी से खातेदार का नमान्तरकरण संख्या 167 वहक अपीलान्ट घनश्याम के हक में दिनांक 20.01.1985 को स्वीकार किया गया। तहसीलदार मलारनाडूंगर के द्वारा अपीलान्ट घनश्याम के हक में स्वीकार किये गये नामान्तरकरण संख्या 167 दिनांक 20.01.1985 को रैस्पोडेन्ट कालूराम के द्वारा तहत अदालत अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रथम अपील में चुनौती दी गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण में बाद कार्यवाही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.06.2016 पारित किया गया। जिसमें अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत (परीक्षण न्यायालय तहसीलदार मलारनाडूंगर) का निर्णय दिनांक 20.01.1985 बाबत नामान्तरकरण संख्या 167 ग्राम चकविलोली निरस्त किया गया तथा पत्रावली तहसीलदार मलारनाडूंगर को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड की गई कि विवादित आवंटित भूमि के प्रत्यर्थी/रैस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन व आवंटन शर्तों की पालना करने के संबध में अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर विस्तृत जांच करने के बाद उभयपक्ष को सुनकर विवादित आवंटित आराजी का नामान्तरकरण नियमानुसार तस्दीक किया जावे। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

माधोपुर के उक्त आदेश दिनांक 10.06.2016 के खिलाफ द्वितीय अपील अपीलान्ट के द्वारा अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को वकील अपीलान्ट उपस्थित रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं लिहाजा वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.06.2016 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आलौच्य आदेश जेर अपील पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर कतई गौर नहीं फरमाया कि विवादित दाखिल खारिज संख्या 167 से असल रैस्पोडेन्ट प्रभावित पक्षकार नहीं है और ना ही उसे उक्त दाखिल खारिज के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेन्डाई था। इसके अलावा उसके द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण के विरूद्ध अपील पेश करने की इजाजत प्राप्त करने का कोई प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सी पी सी न्यायालय तहत के समक्ष प्रस्तुत भी नहीं किया गया। अदालत मातहत ने आलौच्य जेर अपील में रैस्पोडेन्ट को प्रभावित पक्षकार मानते हुये अपील पेश करने की भी कोई इजाजत नहीं दी गई है, बल्कि न्यायालय तहत ने धारा 96 सी पी सी की बाबत कोई आदेश पारित ना करते हुये रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो नियमानुसार नहीं है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि विवादित भूमि अपीलान्ट को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 05.06.1973 को आवंटित किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा उक्त भूमि का विधिवत पट्टा अपीलान्ट के पक्ष में जारी किया गया। जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 108 के द्वारा अपीलान्ट को गैर खातेदारी से खातेदारी के अधिकार प्रदान किये गये तथा आवंटन शर्तों की पालना किये जाने के बाद गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 167 दिनांक 20.01.1985 के द्वारा स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध तहत अदालत में रैस्पोडेन्ट द्वारा तीस वर्षों के बाद अपील प्रस्तुत की गई थी तथा अपील को पेश करने में हुए विलम्ब के संबंध में कोई पर्याप्त व उचित कारण भी नहीं बताया गया था। इसके बाबजूद अदालत मातहत ने 30 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई अपील को अन्दर मियाद मानने में कानूनी भूल की है। जबकि रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में 30 वर्ष के विलम्ब से अपील पेश करने का कोई पर्याप्त व उचित कारण नहीं बताया था।

योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य जेर आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि विवादित आराजी अपीलान्ट को नियमानुसार आवंटित हुई थी। आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि का कब्जा संभलाये जाने के बाद अपीलान्ट आवंटी के हक में गैर खातेदारी का दाखिल खारिज स्वीकार हुआ

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

16.3.2017
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

था, जो कि पिछले 20 वर्षों से यथावत था। रैस्पोडेन्टान ने अपीलान्टान के हक में किये गये आवंटन व दाखिल खारिज गैर खातेदारी को आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय में चैलेन्ज नहीं किया है, बल्कि गैरखातेदारी से खातेदारी के दाखिल खारिज संख्या 167 के विरूद्ध अदालत मातहत में अपील पेश की गई थी। जिसका रैस्पोडेन्ट को कोई अधिकार नहीं था। इसके बाबजूद अदालत मातहत ने रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत हुई आधारहीन अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 167 को खारिज करने में भारी त्रुटि की गई है, क्योंकि जब असल आवंटन व गैरखातेदारी के दाखिल खारिज को चैलेन्ज ही नहीं किया जाता तब तक पश्चातवर्ती दाखिल खारिज खातेदारी को चेलेन्ज नहीं किया जा सकता है। फिर भी न्यायालय तहत ने आलौच्य आदेश जेर अपील पारित कर दिया है जो काबिल निरस्तनीय है। योग्य न्यायालय तहत ने आलौच्य आदेश में तहसीलदार मलारनाडूंगर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि विवादित आवंटित भूमि के प्रत्यर्थी को आवंटन शर्तों की पालना के संबध में साक्ष्य लेकर नामान्तरकरण नियमानुसार तस्दीक किया जावे। अदालत मातहत के उक्त फाईडिंग व निर्देश भी न्यायालय तहत ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर पारित किया है क्योंकि अपीलान्ट के पक्ष में आवंटन तहसीलदार द्वारा नहीं किया जाकर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया था। जिसके आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन आदेश अपीलान्ट के पक्ष में जारी किये गये थे। अतः आवंटन सलाहकार समिति व उपखण्डाधिकारी की ओर से किये गये आवंटन की वैधता की जांच करने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को नहीं है, क्योंकि पूर्व में ही गैर खातेदारी का दाखिल खारिज अपीलान्ट के नाम बदस्तूर रहता है जिसे कभी भी किसी भी समय चैलेन्ज नहीं किया गया है। ऐसी सूरत में जो रिमाण्ड आदेश न्यायालय तहत ने पारित किया है, जो विधि संगत नहीं होने व क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण काबिल निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि विवादित भूमि के संबंध में अपीलान्ट के द्वारा उपखण्ड अधिकारी मलारनाडूंगर के न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया था। जिसके साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया था। उक्त प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी मलारनाडूंगर द्वारा निर्णय दिनांक 03.11.2016 के द्वारा स्वीकार कर रैस्पोडेन्टस को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया था। इस निर्णय के विरूद्ध रैस्पोडेन्ट की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर निर्णय दिनांक 11.12.2017 के द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज कर उपखण्ड अधिकारी मलारनाडूंगर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 03.11.2016 को यथावत रखा गया है। इससे यह स्पष्ट है कि रैस्पोडेन्ट को किसी भी न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ है, परन्तु अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने 30 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई नामान्तकरण की अपील को मियाद बाहर जाकर स्वीकार करते हुए गैर खातेदारी से खातेदारी के नामान्तकरण को निरस्त किये जाने का आदेश

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.10.2016 के द्वारा दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.06.2016 को निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के हक में स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 167 वाकै ग्राम विलोली नदी तहसील मलारनाडूंगर दिनांक 20.01.1985 को यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्ट की ओर से नामान्तकरण संख्या 167 दिनांक 20.01.1985 के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय सवाई माधोपुर ने दिनांक 18.08.2015 को अपील पेश की गई थी। उक्त अपील के साथ संलग्न दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन नामान्तकरणय संबंधी जानकारी दिनांक 12.08.2015 को पटवारी हल्का से होने के आधार पर अपील पेश की गई है, परन्तु अपीलाधीन नामान्तकरण के विरूद्ध अपील पेश किये जाने हेतु सीपीसी की धारा 96 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.06.2016 में रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत मियाद संबंधी प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर अपील को अन्दर मियाद मानते हुए विचारार्थ ग्रहण किया है। अदालत मातहत द्वारा मियाद संबंधी बिन्दु के संबंध में प्रयोग किये गये विवेकाधिकार के संबंध में अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि मियाद के बिन्दुओं के संबंध में निर्णय लिये जाने का अधिकार संबंधित न्यायालय को है। यदि संबंधित न्यायालय द्वारा मियाद के संबंध में लिए गए निर्णय के संबंध में किसी पक्षकार को आपत्ति है तो इसके संबंध में संबंधित पक्षकार अपील करने हेतु स्वतंत्र है। अतः मियाद के बिन्दु पर उक्त प्रकरण में किसी तरह का कोई अभिमत दिया जाना उचित नहीं है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो उक्त निर्णय में विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर ने यह माना है कि अपीलान्ट जो कि अदालत मातहत में रैस्पोडेन्ट था, के द्वारा विवादित भूमि को आवंटित होने के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया और न ही आवंटन शर्तों की पालना करने का कोई रिकार्ड ही अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न है। उक्त निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि अपीलान्ट ने उन्हें खातेदारी अधिकारी मिलने के बाद रैस्पोडेन्ट के खिलाफ अवैध कब्जे को हटाने हेतु सक्षम न्यायालय में दावा पेश किया है। इसका यह तात्पर्य है कि विवादित भूमि पर रैस्पोडेन्ट का पूर्व से कब्जा था। अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार देने से पूर्व मौके की जॉच नहीं किये जाने के आधार पर नामान्तकरण को विधिविरूद्ध मानकर प्रकरण तहसीलदार मलारनाडूंगर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि विवादित आवंटित भूमि के अपीलान्ट को आवंटन व आवंटन शर्तों की पालना करने के संबंध में अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर विस्तृत जॉच करने के बाद विवादित आराजी का नामान्तकरण नियमानुसार तस्दीक किया जावे। उक्त निर्णय में इसलिए कोई अनियमितता या

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में अपीलाधीन निर्णय में वर्णित भूमि के आवंटन, कब्जा दिये जाने के बाद गैर खातेदारी अधिकार दिये जाने तथा आवंटन शर्तों की पालना किये जाने के आधार पर गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जाने संबंधी कोई रिकार्ड अदालत मातहत में प्रस्तुत नहीं किया गया। यद्यपि अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में एल.आर.एक्ट की धारा 80 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ खसरा नंबर 153 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र, पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 03.06.1973 को दिया गया सुपुर्दनामा उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से जारी आवंटन आदेश दिनांक 01.05.1974 व गैर खातेदारी के संबंध में खोले गये नामान्तकरण संख्या 108 की प्रति प्रस्तुत की है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को ग्राम चक विलौली में खसरा नंबर 153 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का आवंटन किया गया है। उक्त सभी दस्तावेज तहसीलदार मलारनाडूंगर के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद अपीलान्ट के हक में पुनः नामान्तकरण खोले जाने का आदेश दिया जा सकता है, क्योंकि तहसीलदार मलारनाडूंगर के न्यायालय से अपीलाधीन नामान्तकरण संबंधी जो मूल परत प्राप्त हुई है। उसमें सभी कॉलम अस्पष्ट हैं। केवल नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर की ओर से पारित आदेश दिनांक 20.01.1985 पठनीय है। उक्त नामान्तकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अपीलान्ट को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जाने का नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा किसी प्राधिकारी की ओर से दिये गये आदेश की पालना में खोला गया है। ऐसी स्थिति में यदि अपीलान्ट के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 10.06.2016 की पालना में तहसीलदार मलारना डूंगर के न्यायालय में उपस्थित होकर अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया जाता है तो अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य की विस्तृत जॉच करने के बाद पुनः अपीलान्ट के पक्ष में गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण खोले जाने का आदेश दिये जाने में कोई अनियमितता नजर नहीं आती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.06.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 26.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर